



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़(राज.)

पीठीसीन अधिकारी  
डॉ.अंजली राजोरिया I.A.S.

प्रकरण संख्या  
14 / 2023  
GCMS NO 2023/25

दर्ज दिनांक  
01 / 04 / 2024

फैसल दिनांक  
15 / 07 / 2024

प्रार्थी

अप्रार्थी / बाकीदार-ऋणी

केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड, मुख्यालय बनाम  
502, टावर-ए, पेनिसुला बिजनस पार्क,  
लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र, शाखा  
कार्यालय, शाखा कार्यालय गांधी हॉस्पिटल के  
उपर सेन्टल बैंक ऑफ इण्डिया के पास  
महू-नीमच रोड, मंदसौर

1. श्री विनीत कुमार मिण्डा पिता कैलाश  
चन्द्र मिण्डा -ऋणी
2. श्री प्रियंका मिंडा पिता सुरज दोशी  
निवासी लोहरगली वार्ड क्रमांक 09,  
प्रतापगढ़ -सहऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित  
प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के तहत

स्थिति :-

श्री धीरेंद्र सिंह भदोरिया द्वारा अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष

दिनांक :- 15/07/2024

-: आदेश :-


संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.03.2019 को अप्रार्थी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्री विनीत कुमार मिण्डा पिता कैलाश चन्द्र मिण्डा, लोहारगली, वार्ड क्रमांक 09, प्रतापगढ़ में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्पत्ति का अंग है जिसका माप लगभग 1475.93 स्क्वायर फीट है। जिसके पडोस पूर्व में-मुख्य सड़क लोहार गली, पश्चिम में -श्रीराजमल डागरिया का मकान, उत्तर में - श्रीमती वल्लभ देवी दक्षिण में - श्री कैलाश चन्द्र तथा श्री कांतिलाल मिण्डा का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रख कर 37,01,869/-अक्षरे सैतीस लाख एक हजार आठ सौ उनसत्तर हजार रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.02.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज 5771971 अक्षरे सत्तावन लाख इकहत्तर हजार नौ सो इकहतर रुपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

डि.प.  
जिला कलक्टर  
प्रतापगढ़ (राज.)

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। विपक्षी को समन जारी किये गये परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी बैंक द्वारा विपक्षी ऋणी को दिनांक 22.02.2023 को धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड जारी किया गया है। जिसकी अप्रार्थी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षी को सुनने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में रखी गई श्री विनीत कुमार मिण्डा पिता कैलाश चन्द्र मिण्डा, लोहारगली, वार्ड क्रमांक 09, प्रतापगढ़ में स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि सभी सम्पत्ति का अंग है जिसका माप लगभग 1475.93 स्क्वायर फीट है। जिसके पडोस पूर्व में—मुख्य सड़क लोहार गली, पश्चिम में — श्रीराजमल डागरिया का मकान, उत्तर में — श्रीमती वल्लभ देवी दक्षिण में — श्री कैलाश चन्द्र तथा श्री कांतिलाल मिण्डा का मकान स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 15/67/2024 को सरे ईजलास सुनाया गया।



  
 (डॉ. अर्जली राजोरिया)  
 जिला कलक्टर,  
 प्रतापगढ़

प्रतििलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है

1. जिला पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़
2. केप्री ग्लोबल केपिटल लिमिटेड, मुख्यालय 502, टावर-ए, पेनिसुला बिजनस पार्क, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र, शाखा कार्यालय, शाखा कार्यालय गांधी हॉस्पिटल के उपर सेन्टल बैंक ऑफ इण्डिया के पास महू-नीमच रोड, मंदसौर
3. श्री विनीत कुमार मिण्डा पिता कैलाश चन्द्र मिण्डा, लोहारगली, वार्ड क्रमांक 09, प्रतापगढ़